कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग दुर्ग (छ0ग0)
बुनकर संघ संतरा बाड़ी स्टेशन रोड, दुर्ग

दूरभाष नं. 0788–2340554 E-mail-jrcsdurg31@gmail.com

क्रमांक / संपंदु / समन्वय / 2022 / 41 दुर्ग,दिनांक 11 / 01 / 2022

प्रति,

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय जानकारी का इन्टरनेट पर स्वप्रकटीकरण। (17 बिन्दुओं की जानकारी), दिनांक 31 / 12 / 2021 की स्थिति में।

संदर्भ :– आपका कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक / समन्वय / सू.का.आ. / 2021 / 4143 / नवा रायपुर दिनांक 20 / 12 / 2021

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय जानकारी इन्टरनेट पर स्वप्रकटीकरण (17 बिन्दुओं की जानकारी) **दिनांक 31 / 12 / 2021 की स्थिति (Devlys 10 Font) में** तैयार कर मय सी.डी. आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
कुल - 19 पन्ने

(मुकेश कुमार ध्रुव)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं दुर्ग–संभाग, दुर्ग (छ0ग0)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग दुर्ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

के अंतर्गत विभागीय जानकारी (31/12/2021 की स्थिति में)

बिन्दु क्रमांक – 1

1 कार्य एवं कर्त्तव्य –

सहकारिता को लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करने एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता दी गई है। आधुनिक परिवेश में परिवर्तन और विकास के दौर में सहकारी संस्थाएं, विश्वसनीय माध्यम बनी हैं। सहकारी विधान को नया स्वरूप प्रदान करने की दिशा में पहल हो चुकी है, ताकि सहकारिता नए आर्थिक, सामाजिक संदर्भों में अपनी भूमिका अधिक जवाबदारी और सक्षमता से निभा सके। सहकारिता विभाग की भूमिका इस नए परिप्रेक्ष्य में मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में होगी, ताकि सहकारिताओं और उनसे जुड़े किसान, मजदूर, बुनकर, मछुवारे, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं विशेशतः महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया जा सके।

पर्यवेक्षक और नियामक के रूप में विभाग का उत्तरदायित्व सहकारी संस्थाओं के संगठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण कर उनकी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण का है। इस नवगठित संभाग में कुल पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या **कुल 3583 है।** जिसमें से **533** सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण, खाद, उन्नत बीज एवं अन्य कृषि आदान, शहरी साख, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास, मत्स्य, डेयरी, वनोपज, बुनकर, खनिज एवं औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है।

अ) संस्थाओं का पंजीयन एवं नियंत्रण –

संभाग में सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिये प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। दस या इससे अधिक व्यक्तियों अथवा संस्थाएं जिनके सदस्य हो, के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहकारी संस्था के पंजीयन बाबत आवेदन किये जाने पर, आवेदन का सुक्ष्म परीक्षण कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर ही संस्था का पंजीयन किया जाता है। ऐसी संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के साथ, सदस्यों के सर्वागीण विकास होना आवश्यक है।

पंजीकृत सहकारी संस्था अपने पंजीकृत उपविधियों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 11 तथा नियम 7 में दिये प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती है उक्त आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने पर उपविधि का संशोधन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है।

ब) अधिनियम एवं नियम – सहकारी संस्थाओं के नियंत्रण

सोसायटी के पर्यवेक्षण एवं परिसंचालन हेतु निम्नानुसार

अधिनियम, नियम प्रभावशील है :–

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962

2 निर्वाचन

1 पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, सहकारी सोसाइटी नियम 1962, संस्थाओं की पंजीकृत उप विधि के विहित प्रावधानों एवं समय–समय पर पंजीयक द्वारा जारी परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुरूप छ0ग0 सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2012 जो कि दिनांक 13.02.2013 से प्रभावशील है, के अनुसार समितियो के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा समपन्न कराया जाना है, तथा आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है।

3 अंकेक्षण से संबंधित कार्य –

1. प्राथमिक स्तर की संस्थाओं का अंकेक्षण छ0ग0 सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2012 जो कि दिनांक 13.02.2013 से प्रभावशील है, के अनुसार वर्ष 2012–13 से समिति के आमसभा के द्वारा पारित संकल्प के आधार पर पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षा पेनल/संपरीक्षा फर्म अथवा विभागीय अंकेक्षक के द्वारा कराया जाता है। यदि किसी सहकारी सोसाईटी का साधारण निकाय अपने लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छः माह की कालावधि के भीतर कराने में विफल रहता हो तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाईटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संबंधित सोसाईटी के संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेंगा और ऐसी सोसाईटी के लेखाओं की संपरीक्षा करवायेगा। तद्नुसार आबंटन आदेश जारी करना, अंकेक्षण टीप निगर्मित करना, अंकेक्षण शुल्क वसूल कराना अंकेक्षण टीपों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करना है।
2. सहकारी संस्थाओं का समय पर अंकेक्षण करने, करवाने हेतु निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षकों पर नियंत्रण हेतु अधिकारियों द्वारा संस्थाओं का समय–समय पर भेंट दिया जाता है।
3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियम और समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप अंकेक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है।
4. अकार्यशील सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुरूप परिसमापन मे लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

4 विधि (सहकारिता न्यायालय) –

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पंजीयक की नियुक्ति की गई है। पंजीयक की सहायता के लिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 3 (1) के अंतर्गत अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पंजीयक, अपर पंजीयक एवं संयुक्त पंजीयक को अपीलीय प्रकरण सुनने के अधिकार है। संयुक्त पंजीयक को मूल वाद सुनने का अधिकार है। सहकारिता अधिनियम धारा–78 के अंतर्गत प्रत्येक मूल आदेश की अपील संयुक्त रजिस्ट्रार को तब की जावेंगी जब ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त अधिकारों को राज्य शासन अधिसूचना द्वारा मुख्यालय, संभाग एवं जिले में पदस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है। जिसके तहत मुख्यालय एवं जिला स्तर पर न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

अधिनियम में नवीन संशोधन के उपरांत छ0ग0 राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया है जो कि, बिलासपुर छ.ग. में स्थित है।

5 विपणन –

1. विभाग द्वारा जिला सहकारी विपणन संघ, प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाएं, थोक उपभोक्ता भण्डार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, कृषि आदान, पौधे संरक्षण, विषयों से संबंधित कार्यों का निर्वहन किया जाता है।
2. छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज आदि की आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर एजेंसी के रूप में कार्य करता है। विपणन संघ उर्वरक कंपनियों से खाद, बीज आपूर्तिकर्ताओं से बीज प्राप्त कर सहकारिता क्षेत्र में खाद एवं बीज की मांग की पूर्ति प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराता है। इस हेतु विपणन संघ के डबललॉक केन्द्रों पर उर्वरकों एवं बीज का भण्डारण किया जाता है जिसे प्राथमिक सहकारी समितियों के मांग पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।
3. यह सुनिश्चित किया जाता है कि कृषकों की मांग पर संबंधित खाद, बीज यथा समय उन्हें उपलब्ध हो सके।
4. इसके साथ ही विपणन संघ, राज्य भाासन के निर्देशानुसार अभिकर्ता के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य करता है।
5. प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां भी अपने सदस्यों एवं कृषकों से संस्था की उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप खाद एवं बीज एवं कृषि यंत्र की आपूर्ति का कार्य करती है।

6 प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार एवं थोक उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सस्ती एवं उचित दरों पर खाद्यान्न सामग्री जन सामान्य को उपलब्ध करवाया जाता है एवं वे उपविधि के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है।

6 योजना –

1 संभाग के विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त अंशपूंजी ऋण ब्याज की वसूली।

2 शासन द्वारा प्रदत्त आवंटन की राशि को विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को सहायता के रूप में ऋण, अंशपूंजी में धनवेष्ठन, बैंकों को विभिन्न प्रकार से चल रही योजनाओं के अंतर्गत कम ब्याज दर पर कृषकों को ऋण देने के लिए सुविधाएं। विपणन संस्थाओं में अंशपूंजी, अनुदान, प्राथमिक/लैम्प्स कृषक सेवा सहकारी संस्थाओं की कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान व उपभोग ऋणों का प्रदाय करना है।

7 सामान्य –

1 वनोपज, मत्स्य, सेरीकल्चर, औद्योगिक, हाथकरघा बुनकर, गृह निर्माण से संबंधित सहकारी संस्थाओं के कार्यों की देखरेख एवं उनसे संबंधित आवश्यक संशोधन करना साथ ही इन संस्थाओं से संबंधित शिकायतों, पत्रादि का निराकरण करना।

8 स्थापना –

1 कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग एवं संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम हेतु स्वीकृत पद अनुरूप कर्मचारी अमला पदस्थ हैं। तत्संबंधी जानकारी संलग्न है)।

2 विभाग के अंतर्गत पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है एवं उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

9 लेखा/देयक –

1 कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग का आहरण संवितरण का अधिकार संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग को एवं संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालय का उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, को आहरण एवं संवितरण का अधिकार प्राप्त है।

2 छ0ग0 बुक आफ फाइनांशियल पावर 1995 वाल्यूम भाग एक के अनुसार राज्य शासन द्वारा संभागीय एवं जिला अधिकारियों (संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं) को आहरण एवं संवितरण का अधिकार दिया गया है।

3 लेखा देयक कक्ष में जी0पी0एफ0 के प्रकरणों का निराकरण कर स्वीकृत किया जाता है। जिसमें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त प्रकार के जी0पी0एफ0/एफ0बी0एफ0/जी0आई0एस0 प्रकरणों की स्वीकृति संभाग स्तर से ही दी जाती है, जिसका आहरण संबंधित कार्यालयों से किया जाता है।

4 संभागीय कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि की जानकारी प्रत्येक वर्ष महालेखाकार को भेजना।

10 **विविध –**

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य विषयान्तर्गत प्राप्त पत्रों के निराकरण हेतु कार्यालय स्तर की कार्यवाही की जाती है।

विभाग के उत्तरदायित्व :–

सहकारिता विधान के अंतर्गत प्रशासकीय दृष्टि से विभाग का मुख्य दायित्व छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अंतर्गत संस्थाओं का सुचारू संचालन, सहकारी संस्थाओं का गठन/पंजीयन, निरीक्षण, अंकेक्षण तथा शासकीय नीतियों का क्रियान्वयन आदि है।

बिन्दु क्रमांक – 2

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य –

1 पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का विभागीय सेटअप स्वीकृत हो चुका है। जो कि **परिशिष्ट– अ** में संभागीय कार्यालय में स्वीकृत सेटअप **संलग्न** है। सहकारिता विभाग संभागीय कार्यालय एवं जिला में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य संवर्ग के हैं।

छ0ग0 वित्तीय पुस्तिका 1995 में उल्लेखित विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के तहत् पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं अधिनस्थ मुख्यालय, संभागीय एवं जिला अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग की जाती है। वित्तीय अधिकार के अनुसार वित्तीय प्रकरणों तथा छ0ग0 भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 हैं। विभाग के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में प्रशासकीय अधिकार शासन को

प्रदत्त हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रशासकीय विभाग/पंजीयक सहकारी संस्थाएं/संभाग/जिला अधिकारियों द्वारा छ0ग0 सिविल सेवा नियम 1961 (छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), 1966 छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965, छ0ग0 अवकाश नियम 2010, में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप शासित अधिरोपण।

(1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित प्रकरणों में – प्रशासकीय विभाग (सचिव, छ0ग0 शासन, सहकारिता विभाग)

(2) कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था.–1/2014/2962 रायपुर दिनांक 12/06/2014 के अनुसार संभागीय संयुक्त पंजीयकों को प्रदत्त किये जाने वाले प्रशासनिक अधिकार निम्नानुसार है :–

क्रं.	अधिकार की प्रकृति	प्रदत्त अधिकार	रिमार्क
1	कर्मचारियों के अवकाश	अर्जित अवकाश, संभाग के भीतर राजपत्रित वर्ग–2 के सभी प्रकार के अवकाश, उनके सीमा के अंतर्गत वर्ग–1 के आकस्मिक अवकाश	
2	निलंबन	संभागातंर्गत पदस्थ अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में	
3	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करना	अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु संपूर्ण अधिकार	
4	विभागीय जांच	अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु संपूर्ण अधिकार	
5	लघु शास्तियॉ	संभागातंर्गत पदस्थ अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों की लघु शास्तियॉ	
6	सामान्य भविष्य निधि	संभागातंर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के राजपत्रित अधिकारियों के अग्रिम तथा पार्ट फायनल स्वीकृति के संबंध में समस्त अधिकार	
7	यात्रा देयक	संभागातंर्गत अधीनस्थ कार्यालय हेतु सम्पूर्ण अधिकार	
8	सेवा पुस्तिका संधारण	संभागातंर्गत पदस्थ सहायक पंजीयकों की सेवापुस्तिका का संधारण संभागीय कार्यालय अंतर्गत किया जावेंगा।	
9	वेतनवृद्वि	संभागातंर्गत पदस्थ सहायक पंजीयकों की वेतनवृद्वि स्वीकृत करना	
10	दौरा कार्यक्रम एवं दौरा	संभागातंर्गत सहायक पंजीयकों के दौरा	

	दैनंदिनी पर अनुमोदन	कार्यक्रम एवं दौरा दैनंदिनी का अनुमोदन	
11	संभाग के बाहर यात्रा की अनुमति	संभागातंर्गत पदस्थ राजपत्रित एवं अराजपत्रित भाासकीय सेवकों को संभाग से बाहर यात्रा की अनुमति प्रदान करना।	

2 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्राप्त अधिकार एवं शक्तियां –

1 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अंतर्गत पंजीयक को विभिन्न अधिकार प्रदत्त है। पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किए गये हैं।

2 सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत संस्थाओं के कार्य की देख रेख एवं आय व्यय का लेखा जोखा का परीक्षण एवं अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं की सहायता के लिए प्रत्येक संभाग में संयुक्त पंजीयक, जिले में उप पंजीयक, सहायक पंजीयक, अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जो सहकारिता अधिनियम, नियम तथा पंजीयक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत अंकेक्षण पूर्ण करने की कार्यवाही करते हैं।

3 सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक को समस्त सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों के सेवा नियम निर्मित करने के अधिकार प्राप्त हैं।

<u>बिन्दु क्रमांक – 3</u> निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली। इसमें सनियंत्रण एवं जवाबदेही की व्यवस्था उल्लेखित हो :–

1 पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली छ0ग0 शासन द्वारा निर्मित नियमों के अधीन ही किया जाता है।

2 छ0ग0 वित्तीय अधिकार पुस्तिका में प्रदत्त अधिकार के अनुसार वित्तीय प्रकरणों/सामान्य भविष्य निधि नियम तथा छ0ग0 भण्डारण क्रय नियमों का पालन करते हुए प्रकरणों का निष्पादन किया जाता है।

3 प्रशासकीय विभाग/पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 द्वारा सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम, छ0ग0 अवकाश

नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा पंजीयक द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

4 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, एवं नियम 1962 के अंतर्गत पंजीयक को अधिकार प्रदत्त है एवं पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किए गये हैं।

बिन्दु क्रमांक – 4 कार्य करने का निहत मापदण्ड –

1 पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 के अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी उत्तरदायित्व एवं कार्यनिर्देशिका पूर्व मे बिन्दु क्रमांक 2 के अनु.क्र. 1 एवं 2 में उल्लेखित अनुरूप ही कार्य करने का निहित मापदण्ड है।

2 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम 1962, संस्थाओं की उपविधियों एवं सेवा नियम के अंतर्गत कार्य संचालन का मापदण्ड निहित है।

बिन्दु क्रमांक – 5 विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों, अभिलेखों, अधिनियमों, संहिताओं को तुरंत उपलब्ध कराने हेतु तैयार करना –

1 पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 सहकारी संस्थाओं में लागू पंजीकृत उपविधि एवं सेवा नियम, छ0ग0 शासन द्वारा जारी नियम/निर्देश तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं, द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों/सहकारी संस्थाओं के लिए जारी आदेश/निर्देश कार्यालय में उपलब्ध है।

2 संभाग स्तरीय प्राथमिक विपणन संस्थाएं गृह निर्माण समितियां, उपभोक्ता भंडार, मतस्य, बुनकर, पैक्स एवं लैम्स समितियां जिला स्तरीय सहकारी बैंक/नागरिक सहकारी बैंकों के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक – 6 विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का –

कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग, में कार्य विभाजन एवं कार्य संपादन संबंधी दिशा–निर्देश अभिलेख का कक्षवार विभाजन निम्नानुसार है :–

1. **लेखा,स्थापना,बजट,विभागीय जांच, गोपनीय चरित्रावली,निलंबन एवं बहाली, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यालय नियंत्रण,शिक्षा–प्रशिक्षण, पुस्ताकालय एवं डेड स्टाक इत्यादि।**
2. **समन्वय कक्ष, विधानसभा, मासिक अर्द्धशासकीय पत्रों का संकलन, एवं प्रेशण मुख्यालय एवं संभाग स्तर के बैठकों तथा विडियों कान्फेंसिंग की जानकारी तैयार करना। सूचना का अधिकार, धान खरीदी इत्यादि।**
3. **शिकायत कक्ष, समस्त प्रकार के शिकायतों का निवारण।**

4. **विधि कक्ष (अधिनियम एवं उच्च न्यायालय) , कृषि साख कक्ष, अकृशि साख, लोक आयोग, आर्थिक अपराध अन्वेशण ब्यूरों संबंधी, धारा 60 का निरीक्षण एवं धारा 59 की जांच एवं अधिनियम अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही, परिसमापन इत्यादि।**
5. **अंकेक्षण, गृह निर्माण बुनकर वनोपज उपभोक्ता भण्डार इत्यादि।**
6. **योजना, सांख्यिकीय कक्ष, पंजीयन, लोक सेवा गारंटी, निर्वाचन,विविध कक्ष,विपणन शक्कर कारखाना इत्यादि।**
7. **आवक–जावक कक्ष, टंकण कार्य, स्टेनो टू संयुक्त पंजीयक।**

उपरोक्त कक्षों द्वारा संधारित नस्तियों/अभिलेखों का विवरण **(परिशिष्ट–ब में संलग्न है)।**

बिन्दु क्रमांक – 7 निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह मशविरा करने की कोई व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख –

इस विभाग अंतर्गत ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु क्रमांक – 8 काउन्सिल, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों उसका उल्लेख –

1 सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं। वर्तमान में संभाग में पंजीकृत **533** कृषि साख सहकारी संस्थाओं में दो सदस्यों की सलाहकार समिति गठित की गई है। जिनकी जानकारी संबंधित संस्थाओं में संधारित है।

2 सहकारिता विभाग के अंतर्गत काउन्सिल, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जो दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी है तथा आम जनता के लिए खुली हो, नहीं है।

बिन्दु क्रमांक – 9 अधिकारियों व कर्मचारियों की डायरेक्ट्री –

विभाग अंतर्गत पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री परिशिष्ट– **अ** संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 10 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां, –

विभाग अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जाने वाली कुल उपलब्धियों की जानकारी, परिशिष्ट – अ संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 11 विभिन्न एजेंसियों को दिये गये बजट, खर्च करने की प्रक्रिया व उस पर प्रतिवेदन करने की प्रक्रिया – निरंक

बिन्दु क्रमांक – 12 अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं हितग्राहियों की सूची– निरंक

बिन्दु क्रमांक – 13 ऐसे लोगों की सूची जिन्हें परमिट लाईसेंस, छूट या अनुमति दी गई हो –

विभाग के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का परमिट, लाईसेंस, छूट या अनुमति नहीं दी जाती है।

बिन्दु क्रमांक – 14 उक्त सर्वसूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध कराना –

सहकारिता विभाग से संबंधित जनसूचना संबंधी समस्त जानकारियों की सी0डी0 संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 15 जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं, यथा इन्टरनेट, वाचनालय या अन्य व्यवस्था जो जनता के लिये उपलब्ध हो का कथन –

विभाग के अंतर्गत वर्तमान में जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं में इंटरनेट एवं वाचनालय नहीं है। जनता द्वारा सूचना मांगे जाने पर उक्त सर्वसूचना की प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक – 16 जन सूचना अधिकारी नाम, पदनाम व अन्य विवरण –

सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों हेतु नियुक्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी से संबंधित विवरण परिशिष्ट– **ई** संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 17 सरकार द्वारा प्रावधानित की गई अन्य कोई सूचना –

राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग हेतु वर्तमान में किसी भी प्रकार की सूचना दिये जाने संबंधी निर्देश प्रसारित नहीं है।

(मुकेश कुमार ध्रुव)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं दुर्ग–संभाग, दुर्ग (छ0ग0)

परिशिष्ट–अ

स्थापना कक्ष

सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन

दुर्ग संभाग में संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसके अधीन सहायक पंजीयक तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी कार्यरत हैं। स्वीकृत विभागीय ढ़ांचे के अंतर्गत विभाग में संभाग स्तर पर 01 सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। संभाग कार्यालय में सहयोग के लिए तृतीय वर्ग के कार्यपालिक वर्ग (अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक) तथा लिपिक वर्गीय विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। तत्संबंधी जानकारी संलग्न है।

विभाग के अंतर्गत पदस्थ/कार्यरत अमले के समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु ही स्थापना कक्ष का गठन किया गया है।

छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/सहकारिता विभाग/गृह विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा जारी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित आदेश/निर्देशों के तहत कार्यालय एवं मैदानी स्तर के कार्यालयों का क्रियान्वयन कराया जाता है।

सहकारिता विभाग, छ0ग0 शासन द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों का विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

सहकारिता विभाग के अंतर्गत संभागीय कार्यालय दुर्ग में प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार स्वीकृत है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद
1	संयुक्त पंजीयक	01
2	सहायक पंजीयक	01
3	अंकेक्षण अधिकारी	01
4	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	02
5	सहकारी निरीक्षक	04
6	अधीक्षक	01
7	सहायक ग्रेड–1	01
8	सहायक ग्रेड–2	02
9	सहायक ग्रेड–3	02
10	डाटा इन्ट्री आपरेटर	01
11	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	01

12	वाहन चालक	01
13	स्टेनो टायपिस्ट	01
14	भृत्य	03
15	फर्राश	01
16	चौकीदार	01
	योग :–	**24**

विभागान्तर्गत विभागाध्यक्ष/जिला कार्यालयों के खुलने का समय प्रातः 10:30 बजे एवं कार्यालय बंद होने का समय शाम 5.30 बजे निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थांए, छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक अधिकार प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप निम्नांकित कार्यवाही की जाती है :–

नियुक्ति :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के तहत कार्यवाही की जाती है।

कार्यवाही :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्यवाही की जाती है।

दण्ड :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्यवाही की जाती है।

सेवा निवृत्ति :– सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत कार्यवाही संपादित की जाती है।

पदोन्नति :– लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के तहत कार्यवाही की जाती है।

स्थानांतरण :– शासन के निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही की जाती है।

अवकाश :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम–41 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों में सौंपे जाने से अवकाश स्वीकृति के अधिकार अनुसार प्रशासनिक कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह, सहकारिता एवं अन्य विभागों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित आदेश, निर्देश समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित किया जाता है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में शक्तियां राज्य शासन में निहित हैं। विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से कार्यपालिक/अकार्यपालिक तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं।

मुख्यालय/संभाग/जिला कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा जारी वित्तीय पुस्तिका–1995 में प्रदत्त अधिकारों के तहत प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों के अतर्गत कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट–ब

पंजीयन कक्ष

क्रमांक 01.

पंजीयन कक्ष के अंतर्गत प्राथमिक राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिये प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। दस या इससे अधिक व्यक्तियों अथवा संस्थाएं जिनके सदस्य केवल संस्थाएं हो, के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहकारी संस्था के पंजीयन बाबत आवेदन किये जाने पर तथा आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण करने पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर ही संस्था का पंजीयन किया जाता है। ऐसी संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के साथ सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है।

पंजीयन कक्ष में पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पंजीयन कक्ष प्रभारी द्वारा उक्त प्रस्ताव नस्ती में अग्रिम कार्यवाही एवं सुक्ष्म परीक्षण हेतु वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक के माध्यम से सहायक पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पंजीयन प्रस्ताव अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुरूप पाये जाने पर तथा धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप पंजीकृत की जाती है। त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होने से उक्त वर्गीकृत संस्था (1) शीर्ष (2) केंद्रीय (3) प्राथमिक संस्था के अंतर्गत और भी वर्गीकृत की जाती है।

पंजीकृत सहकारी संस्था अपने पंजीकृत उपविधियों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 11 तथा नियम 7 में दिये प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगी पंजीयन कक्ष उक्त आवेदन को कक्ष प्रभारी के माध्यम से सहायक/ संयुक्त/पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उक्त आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने पर उपविधि का संशोधन पंजीकृत किया जावेगा।

क्रमांक 02.

सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पंजीयन कक्ष द्वारा सहकारी संस्थाएं सहकारी अधिनियम 1960 तथा नियम 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत समय–समय पर पंजीयक द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर किया जाता है।

क्रमांक 03.

पंजीयन कक्ष प्रभारी के प्रभार में संस्थाओं के पंजीयन से संबंधित नस्तियां (जिसमें संस्थाओं के पंजीयन प्रस्ताव) समय–समय पर पंजीयक द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र तथा छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 रहता है। जिसके रख रखाव के लिय वह जिम्मेदार होता है।

क्रमांक 04.

पंजीयन कक्ष प्रभारी के प्रभार में निम्न दस्तावेज होते हैं :–

1/ पंजी

1. पंजीयन पंजी सहकारी संस्था के पंजीयन होने के पश्चात इसमें दर्ज किया जाता है।
2. उपविधि संशोधन पंजीकृत उपविधि में संशोधन के पश्चात इसमें दर्ज किया जाता है।

2/ नस्तियां

1. संस्थाओं की पंजीयन प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से संबंधित नस्ती।
2. उपविधियों में संशोधन बाबत प्राप्त प्रस्तावों पर की गयी संशोधन बाबत् कार्यवाही।

3/ सर्कुलर

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किस संस्था के पंजीयन से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है।

9.2 किसी विशेष पर निर्णय लेने के लिए नस्ती कक्ष प्रभारी द्वारा अंतिम निर्णय हेतु नस्ती संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को प्रस्तुत की जाती है।

9.3 लिये गये निर्णय को आवेदक तक पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है।

9.4 संभाग स्तर पर अंतिम निर्णय लेने के लिए संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग दुर्ग प्राधिकृत अधिकारी है।

मुख्य विषय जिस पर कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाता है का विवरण

क्रमांक	विषय	विवरण
1	संभागीय स्तरीय संस्थाओं का पंजीयन	संभागीय स्तरीय संस्थाओं का पंजीयन/उपविधि संशोधन
2	दिशा निर्देश	छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 व नियम 1962
3	निर्णय लेने की प्रक्रिया	कक्ष प्रभारी द्वारा नस्ती सहायक पंजीयक के माध्यम से अंतिम निर्णय हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग दुर्ग
4	निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	संयक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग दुर्ग
5	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	कार्यालय संयक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग दुर्ग नं. फोन नं. 0788 2340554
6	निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें	छ0ग0 सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधान के अंतर्गत अपर पंजीयक,सहकारी संस्थाए रायपुर को।

निर्वाचन कक्ष

क्रमांक (1) :–

वस्तुतः संभाग स्तरीय पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के बोर्ड/प्रबंधकारिणी समिति/संचालक मण्डल जिनके निर्धारित कार्यकाल पूर्ण हो चुका है/पूर्ण हो जाता है, द्वारा निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तथा संस्था से प्राप्त आवेदन–पत्र निर्वाचन कक्ष प्रभारी द्वारा नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु संयुक्त पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की जाकर संबंधित सोसायटी का आवेदन–पत्र नियमानुसार सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को यथा शीघ्र निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु प्रेषित किया जाता है।

क्रमांक (2) :–

वस्तुतः सहकारी संस्थाओं के बोर्ड/प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के कुशल मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत रूप में सम्पन्न कराया जाता है।

क्रमांक (3) :–

निर्वाचन कक्ष प्रभारी के प्रभार में निम्न दस्तावेज होते हैं :–

1. संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित पत्राचार व उस पर हुई कार्यवाही से संबंधित नस्तियां (सूची संलग्न है)।
2. सर्कुलर – समय–समय पर भासन द्वारा जारी तथा पंजीयक द्वारा जारी निर्वाचन से संबंधित परिपत्र।

सर्कुलर (निर्वाचन कक्ष)

विविध कक्ष

क्रमांक (1) :–

विविध कक्ष के अंतर्गत विभिन्न आयोगों को प्रेषित किया जाने वाला प्रतिवेदन, महत्वपूर्ण शिकायतें, विभिन्न बैठक से संबंधित जानकारियां तथा बैठकों का आयोजन, वृक्षारोपण निरिक्षण रोस्टर जन समस्या निवारण शिविर सिटिजन चार्टर विडियों कांफ्रेंसिंग केंद्रीय व राज्य शासन द्वारा समय पर चाही गई जानकारियां जो कार्यालय के एक से अधिक कक्षों से संबंधित होती है संकलित कर प्रेषित की जाती है।

क्रमांक (2) :–

उपरोक्त बिन्दु में उल्लेखित कार्यों का निष्पादन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता है, कक्ष में प्राप्त पत्रों को सर्वप्रथम आवक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है पश्चात कक्ष प्रभारी द्वारा नस्ती के द्वारा सहायक/संयुक्त पंजीयक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा नस्ती में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप निष्पादन किया जाता है।

क्रमांक (3) :–

विविध कक्ष में प्राप्त पत्रों का निष्पादन संबंधित कक्षों से प्राप्त जानकारियां, शासन से प्राप्त निर्देशों छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम, में दिये निर्देशों, मापदंडों के आधार पर की जाती है। जिसके लिये निम्नानुसार दस्तावेज रखे जाते हैं :–

नस्तियां :–

1. प्रक्रियाधीन नस्ती :– जिन नस्तियों पर कार्यवाही विचाराधीन है।
2. नस्तीबद्ध नस्ती :– जिन नस्तियों पर अंतिम आदेश हो चुके हैं।
3. परिपत्र :– छ0ग0 शासन एवं पंजीयक कार्यालय से प्राप्त परिपत्र

आडिट (महालेखाकार) कक्ष

महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा समय–समय पर राज्य स्थित जिला कार्यालयों की प्राप्तियां/वापसियों के लेखों की जांच में ली गई आपत्तियों/अनियमिताओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन पर समयावधि में जिलों के पालन प्रतिवेदन का परीक्षण, अभिमत दर्ज करने एवं अनिराकृत कंडिकाओं के संबंध में युक्ति–युक्त कार्यवाही, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विभागीय प्रतिवेदन एवं पत्राचार, विधान सभा लोकलेखा समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप बिभागीय कार्यवाही, उपरोक्तानुसार महालेखाकार परीक्षक/लोक लेखा समिति द्वारा लिए गए निष्कर्ष के आधार पर जिला कार्यालयों के द्वारा पालन पूर्ति की सुनिश्चितता के अतिरिक्त समीक्षा एवं निर्देश।

डायरेक्ट्री परिशिष्ट अ

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत संयुक्त/सहायक पंजीयक की जानकारी

क्रं.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्री मुकेश कुमार ध्रुव	संयुक्त पंजीयक	दुर्ग	1,20,700.00
2.	सुश्री शिल्पा अग्रवाल	सहायक पंजीयक	दुर्ग	63,100.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत अंकेक्षण अधिकारियों की जानकारी

क्रं.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्री रूपराम गजभिये	अंकेक्षण अधिकरी	दुर्ग	71,300.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों की जानकारी

क्रं.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1	डॉ. जे.पी. मिश्रा	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	दुर्ग	69,200.00
2.	श्री वाय.के. मिश्रा	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	दुर्ग	62,800.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत सहकारी निरीक्षकों/स.वि.अ. की जानकारी

क्रं.	अधिकारियों एवं कर्मचारीयों के नाम	पदनाम	पदास्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्री खगेश देशमुख	सहकारी निरीक्षक	दुर्ग	35,500.00
2.	श्री प्रवेश शर्मा	सहकारी निरीक्षक	दुर्ग	35,500.00
3.	श्री पारूल श्रीवास्तव	सहकारी निरीक्षक	दुर्ग	35,300.00
4.	श्री पायलरानी अग्रवाल	सहकारी निरीक्षक	दुर्ग	37,500.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत अधीक्षक की जानकारी

क्रं.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	कु. फ्लोरा मिंज	अधीक्षक	दुर्ग	54,200.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत सहायक ग्रेड–1 की जानकारी

क्रं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति हेमलता साहू	सहायक ग्रेड– 1	दुर्ग	41,000.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत सहायक ग्रेड–2 की जानकारी

क्रं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर	सहायक ग्रेड–2	दुर्ग	35,100.00
2.	सुश्री नीता तिवारी	सहायक ग्रेड–2	दुर्ग	36,400.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत सहायक ग्रेड–3 की जानकारी

क्रं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती रोशन भुआर्य	सहायक ग्रेड–3	दुर्ग	26,200.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत स्टेनो की जानकारी

क्रं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती आशा नागदेवे	स्टेनो टायपिस्ट	दुर्ग	46,100.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत वाहन चालक की जानकारी

क्रं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्री अगुस्टिन मिंज	वाहन चालक	दुर्ग	35,100.00

सहकारिता विभाग दुर्ग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी दफ्तरी (भृत्य) की जानकारी

क्रं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	पदस्थी स्थान	मूल वेतन
1	2	3	4	5
1.	श्री सावंत राम नेताम	भृत्य	दुर्ग	33,400.00
2.	श्री बेनू सिंह नेताम	भृत्य	दुर्ग	34,400.00
3.	श्रीमती बेदू बाई	भृत्य	दुर्ग	33,400.00
4.	श्री हेमन्त गुरूंग	भृत्य	दुर्ग	18,100.00

(मुकेश कुमार ध्रुव)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं दुर्ग–संभाग, दुर्ग (छ0ग0)

परिशिष्ट–ई

सूचना का अधिकार

जनसूचना अधिकारी का नाम, पद, फोन.नंम्बर एवं कार्यालय एवं घर का पता	**श्री आर.आर.गजभिए,** **अंकेक्षण अधिकारी,** **कार्यालय संयुक्त पंजीयक,** **सहकारी सस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग (छ.ग.)** **मो.नं.– 98271–04980**
सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम, पद, फोन.नंम्बर एवं कार्यालय एवं घर का पता	**डॉ. जे.पी.मिश्रा,** **वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक** **कार्यालय संयुक्त पंजीयक,** **सहकारी सस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग (छ.ग.)** **मो.नं.– 98271–72246**
प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पद, फोन.नंम्बर एवं कार्यालय एवं घर का पता	**श्री मुकेश कुमार ध्रुव** **संयुक्त पंजीयक** **सहकारी सस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग (छ.ग.)** **मो.नं.– 94076–73372**

(मुकेश कुमार ध्रुव)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं दुर्ग–संभाग, दुर्ग (छ0ग0)